

- पत्रावली पर आवेदन रूप से बदल पेश हुई। पत्रावली वास्ते बदल दिनांक 15.04.2024 को पेश है।


जिला कलक्टर
शाहपुरा

15.04.24

पत्रावली ~~रूप~~ पेश हुई। अधिवक्ता उमयपद उप.) अधिवक्ता उमयपद द्वारा बदल हेतु अवसर गद्य गया तथायदित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते लखन दिनांक 30.4.2024 को पेश है।


जिला कलक्टर
शाहपुरा

30.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमयपद व निगराहट उपस्थित। निगराहट लेखराज द्वारा एक प्रार्थना पत्र वाबत निगरानी विडो डिपे जाने पेश किया। जिसकी तस्वीर अधिवक्ता नमन ओझा द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में निगराहट को खुना गया। निगराहट द्वारा निगरानी में आगे कोई कार्यवाही नहीं उसे का निवेदन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः निगराहट का प्रार्थना पत्र वाबत निगरानी विडो डिपे जाने स्वीकार किया जाता है। निगराहट व निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज. पंचायतीरज अधिनियम 1994 इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है। पत्रावली केसल सुमार होउर नम्बर से उम है।


जिला कलक्टर
शाहपुरा

अहमम को
हुम को
जासी हु